न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालाखेडा जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी सुश्री नवज्योति कंवरिया (आर.ए.एस.)

वाद संख्या	तारीख दायर	निर्णय दिनांक
1/132	30.07.2024	26.09.2025

बउनवान

01. लल्लूराम पुत्र मूल्या जाति मीणा निवासी ग्राम खेडला तहसील मालाखेडा जिला अलवर
वादी

बनाम

01. मल्लोदेवी पत्नी स्व0गिर्राज उर्फ पप्पू हाल पत्नी लल्लूराग मीणा जाति मीणानिवासी कांटवाडी बिणजारी जिला अलवर
02. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) मालाखेडा जिला अलवर

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा (अलवर) राज0 सत्यमेव जयते

निर्णय

वकील वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि खाता सख्या नया 31 के आराजी खसरा नम्बर हाल 654 रकबा 0.6000 हैक्टेयर, 655 रकबा 0.3000 हैक्टेयर, 656/866 रकबा 0.0600 हैक्टेयर कुल खसरा 3 रकबा 0.9600 हैक्टेयर एवं खाता संख्या नया 121 के आराजी खसरा नम्बर हाल 681 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, 682/882 रकबा 0.3900 हैक्टेयर, कुल खसरा 2 रकबा 0.4100 हैक्टेयर एवं खाता संख्या नया 122 के आराजी खसरा नम्बर 392 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, 393 रकबा 1.2300 हैक्टेयर, 476 रकबा 0.8800 हैक्टेयर कुल खसरा 3 रकबा 2.1300 हैक्टेयर एवं खाता संख्या नया 80 के आराजी खसरा नम्बर 827 रकबा 0.1000 हैक्टेयर वाके ग्राम खेडला तहसील मालाखेडा जिला अलवर में स्थित है। आराजी खसरा नम्बर हाल 654, 655, 656/866 कुल खसरा 3 रकबा 0.9600 हैक्टेयर खाता संख्या 31 के राजस्व रिकार्ड में 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 की एवं आराजी खसरा नम्बर हाल 681, 682/882 कुल खसरा 2 रकबा 0.4100 हैक्टेयर खाता संख्या 121 एवं आराजी खसरा नम्बर 392, 393, 476 कुल खसरा 3 रकबा 2,1300 हैक्टेयर खाता संख्या 122 के राजस्व रिकार्ड में 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 की एवं आराजी खसरा नम्बर 827 रकबा 0.1000 हैक्टेयर खाता संख्या 80 के राजस्व रिकार्ड में 1/144 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। जो आराजी वाद पत्र में विवादित आराजी है । उपरोक्त आराजी पूर्व में वादी के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 1 के श्वसुर मूल्या की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी। मूल्या के दो पुत्र वादी लल्लूराम एवं गिर्राज हुए तथा प्रतिवादी संख्या 1 गिर्राज की पत्नी थी। गिर्राज का स्वर्गवास पिता मूल्या के जीवनकाल में ही हो गया था। गिर्राज के स्वर्गवास के कुछ समय पश्चात ही प्रतिवादी अपने सभी ससुराल वालो का परित्याग कर चली गई और उसने ग्राम कांटवाडी, बिणजारी के लल्लूराम नामक व्यक्ति से पुनर्विवाह कर लिया

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा (अलवर)

और तभी से वह अपने ससुराल कांटवाडी रहती चली आ रही है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के लल्लूराम निवासी कांटवाडी के नुत्फे से एक पुत्री प्रियंका एवं दो पुत्र राकेश व लालाराम पैदा हुए है तथा वर्तमान में भी प्रतिवादी अपने परिवार सहित कांटवाडी में रिहायश करती चली आ रही है। जो कि प्रतिवादी संख्या 1 के परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र, पुत्र राकेश कुमार मीना के माध्यमिक परीक्षा 2016 के प्रमाण पत्र अंकतालिक से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 का विवादित आराजी से कभी कोई सम्बन्ध व सरोकार किसी प्रकार का नही रहा है चूँकि वह अपने पति गिर्राज के फौत होने के उपरांत ससुराल छोड कर चली गई और उसने पुनर्विवाह कर लिया। वादी के पिता मूल्या के स्वर्गवास होने के पश्चात उसकी विरासत मिन वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कर दी। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 का विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध व सरोकार किसी प्रकार का नही रहा है। मिन वादी दिनांक 11.07.2024 को पटवारी हल्का के पास क्रेडिट कार्ड बनवाने गया और जमाबंदी आदि की नकल प्राप्त की तो उनका अवलोकन कर पटवारी हल्का ने बताया कि उक्त राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम बतोर खातेदार दर्ज है। जिस पर मिन वादी ने दिनांक 15.07.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 से सम्पर्क कर उसका नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन करवा कर उसकी खातेदारी की हद तक वादी को खातेदार दर्ज कराने के लिए कहा लेकिन वो टालबाल करती चली आ रही है ऐसा प्रतीत होता है कि वह अज खुद राजस्व रिकार्ड की दुरूस्ती कराने को तैयार नहीं है। इसलिए मिन वादी को उक्त वाद दायर करना आवश्यक हुआ है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 जाति से मीणा है, जिन पर रुढीवादी प्रथा लागू होती है। उक्त प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत नामांतकरण विधि विरूद्ध तरीके से स्वीकार किया गया है। जबकि उक्त आराजी से प्रतिवादी संख्या 1 का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खातेदारी में दर्ज आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है और अपने आपको खातेदार काश्तकार दर्ज कराने का अधिकारी है तथा उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में जो प्रतिवादी संख्या 1 का नाम बतोर खातेदार दर्ज है वह वादी के अधिकारो के खिलाफ बातिल बेअसर व नाकाबिल पाबंदी होने से वादी उक्त इन्द्राज को कलमजन करवा कर अपना नाम बतोर खातेदार दर्ज करा कर राजस्व रिकार्ड की दुरूस्ती कराने का अधिकारी है। वाद पत्र इस्तकरार हक एवं दुरूस्ती इन्द्राज प्रस्तुत किया जा रहा है। मिन वादी ने दिनांक 15.07.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 से सम्पर्क कर उसका नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन करवा कर उसकी खातेदारी की हद तक वादी को खातेदार दर्ज कराने के लिए कहा लेकिन वह टाल बाल करती चली आ रही है तथा उक्त राजस्व रिकार्ड के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आराजी मुतनाजा किसी दीगर लोगों को रहन के मुन्तकिल व मकफूल कर दिया तो वादी को भारी ना पूर्ति होने वाली क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी प्रकार से नहीं की जा सकेगी। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जाना आवश्यक है।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जरिये अधिवक्ता इकबालिया जवाब दावा पेश किया गया। वकील वादी द्वारा लल्लूराम पुत्र मूल्या का शपथ–पत्र पेश किया गया। वकील वादी द्वारा साक्ष्य प्रदर्श अंकन करावाये गये। प्रतिवादी वकील ने जिरह से मना किया तथा पत्रावली स्वीकार करने का निवेदन किया।

पत्रावली मे उभयपक्ष की फाइनल बहस सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। संलग्न दस्तावेजात पर गौर तथा उभय पक्ष की बहस पर मनन किया कि विवादित आराजी खाता सख्या नया 31 पुराना खाता संख्या 27 आराजी खसरा नम्बर 654 रकबा 0.6000 हैक्टेयर, 655 रकबा 0.3000 हैक्टेयर, 656/866

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

रकबा 0.0600 हैक्टेयर कुल खसरा 3 रकबा 0.9600 हैक्टेयर वाके ग्राम खेडला तहसील मालाखेडा में वादी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी मल्लो देवी पत्नी स्व0 गिर्राज उर्फ पप्पू का 1/6 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। खाता संख्या नया 80, पुराना खाता संख्या 74 आराजी खसरा नम्बर 827 रकबा 0.1000 हैक्टेयर वाके ग्राम खेडला तहसील मालाखेडा में वादी का 1/48 हिस्सा तथा प्रतिवादी मल्लो देवी पत्नी स्व0 गिर्राज उर्फ पप्पू का 1/144 हिस्सा रिकॉर्डेड है। खाता संख्या नया 121, पुराना खाता संख्या 112 आराजी खसरा नम्बर 681 रकबा 0.0200 हैक्टेयर तथा 682/882 रकबा 0.3900 हैक्टेयर कुल खसरा 2 रकबा 0.4100 हैक्टेयर वाके ग्राम खेडला तहसील मालाखेडा मे वादी का 3/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी मल्लो देवी पत्नी स्व0 गिर्राज उर्फ पप्पू का 1/4 हिस्सा निहित है इसी प्रकार खाता संख्या नया 122, पुराना खाता संख्या 113 आराजी खसरा नम्बर 392 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, 393 रकबा 1.2300 हैक्टेयर, 476 रकबा 0.8800 हैक्टेयर कुल खसरा 3 रकबा 2.1300 हैक्टेयर वाके ग्राम खेडला तहसील मालाखेडा में वादी का 3/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी मल्लो देवी पत्नी स्व0 गिर्राज उर्फ पप्पू का 1/4 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है।

प्रतिवादी मल्लो देवी पत्नी स्व0 गिर्राज उर्फ पप्पू द्वारा वादपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया हैं तथा किसी भी प्रकार की आपत्ति से इंकार किया है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि खाता सख्या नया 31 पुराना खाता संख्या 27 आराजी खसरा नम्बर 654 रकबा 0.6000 हैक्टेयर, 655 रकबा 0.3000 हैक्टेयर, 656/866 रकबा 0.0600 हैक्टेयर कुल खसरा 3 रकबा 0.9600 हैक्टेयर वाके ग्राम खेडला तहसील मालाखेडा में प्रतिवादी मल्लो देवी पत्नी स्व0 गिर्राज उर्फ पप्पू का दर्ज 1/6 हिस्सा, खाता संख्या नया 80, पुराना खाता संख्या 74 आराजी खसरा नम्बर 827 रकबा 0.1000 हैक्टेयर वाके ग्राम खेडला तहसील मालाखेडा में प्रतिवादी मल्लो देवी पत्नी स्व0 गिर्राज उर्फ पप्पू का दर्ज 1/144 हिस्सा, खाता संख्या नया 121, पुराना खाता संख्या 112 आराजी खसरा नम्बर 681 रकबा 0.0200 हैक्टेयर तथा 682/882 रकबा 0.3900 हैक्टेयर कुल खसरा 2 रकबा 0.4100 हैक्टेयर वाके ग्राम खेडला तहसील मालाखेडा मे प्रतिवादी मल्लो देवी पत्नी स्व0 गिर्राज उर्फ पप्पू का दर्ज 1/4 हिस्सा, खाता संख्या नया 122, पुराना खाता संख्या 113 आराजी खसरा नम्बर 392 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, 393 रकबा 1.2300 हैक्टेयर, 476 रकबा 0.8800 हैक्टेयर कुल खसरा 3 रकबा 2.1300 हैक्टेयर वाके ग्राम खेडला तहसील मालाखेडा में प्रतिवादी मल्लो देवी पत्नी स्व0 गिर्राज उर्फ पप्पू का दर्ज 1/4 हिस्सा कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हेतु तहसीलदार मालाखेडा को आदेशित किया जाता है। इसी प्रकार पर्चा डिक्री जारी की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(नवज्योति कंवरिया)
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा (अलवर)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेड़ा (अलवर) सत्यमेव जयते

निर्णय आज दिनांक 26.09.2025 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नवज्योति कंवरिया)
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)